:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (म0प्र0) ::

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

जिला भोपाल मध्यप्रदेश
दिनांक 16/10/2018
निविदा फार्म क्रं.–......................
मूल्य :– 500/–
चालान क्रं................................ दिनांक ....

निविदा प्रपत्र

विधानसभा निर्वाचन 2018 वीडियोग्राफी हेतु निविदा

कार्य क्षेत्र एवं सामान्य शर्तें :–

विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान जिले की संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी के लिए पंजीकृत शासकीय/अर्दशासकीय, निजी संस्थाओं से निम्न शर्तो के अधीन मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

1. निविदा अवधि निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक इस वित्तिय वर्ष हेतु मान्य होगी, गुण–दोष के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय अनुसार अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के कार्यालय में दिनांक. 22.10..2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है निविदा दिनांक 22.10.2018 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेंगी।
3. निविदा 02 बंद लिफाफों में प्राप्त की जावेगी । प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र–1, एवं प्रपत्र–3,4,5 सहित समस्त जानकारियॉ मय स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रतिभूति राशि के डीडी सहित फर्म से संबंधित अन्य अभिलेख एवं अनुभव से संबंधित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों का विवरण होगा एवं द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र–2 दरो का उल्लेख होगा । उक्त दोनों लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में सील्ड किये जाकर, प्रत्येक (तीनों) लिफाफे पर सुस्पष्ट अक्षरों में **"विधानसभा निर्वाचन, 2018 के लिए विडियोग्राफी हेतु निविदा"** अंकित कर आवेदन सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पक्ष में संलग्न करें।
5. प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे। जिन निविदा दाताओं की अमानत राशि जमा नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत की जावेगी तथा जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसकी अमानत राशि कार्य समाप्त होने पर तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त वापिस कर दी जावेगी।
6. निविदादाता, वीडियो, सीडी/पेन ड्राईव, पूर्ण होने तक सीडी/पेन ड्राइव की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा । वीडियो सीडी पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल उस सीडी कनवर्शन के लिए सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपेगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को निम्न अन्य शर्तो का पालन करना आवश्यक है :–

   (01) निविदाकार का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकारों को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

   (02) निविदाकार अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा।

   (03) सफल निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

   (04) प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।

   (05) निविदाकार से जिस दिन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी निविदाकार को उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कैमरामैन की उपस्थित प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित कराके देने का निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।

   (06) निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाध रूप से निरंतर चलता रहे। किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिए उसके भुगतान में 50 प्रतिशत तक की कटौत्री की जा सकेगी। जहां निविदाकार ने जानबूझकर कोई गड़बड़ी की वहां कार्य की राशि एवं प्रतिभूति की राशि दोनों राजसात की जा सकेगी।

7\. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हैं। निविदा पर निविदादाताओं को अपना सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. के पंजीयन क्रमांक व अवधि अंकित करना होगी। नियत सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. भुगतान की जाने वाली राशियों में से काट कर कार्यालय द्वारा जमा, खजाना किया जावेगा। निविदादाता के आयकर एवं अन्यकर का नियमानुसार कटौत्रा उन्हें भुगतान की जाने वाली प्रत्येक स्टेज की राशि से स्त्रोत पर ही काट लिया जावेगा।

.....2....

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुण दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते है।
9. निविदादाता निविदा प्रारूप के प्रपत्र 4 में संलग्न प्रमाण पत्र घोषणा/हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें।
10. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल का होगा।
11. सी.डी. निविदाकार को स्वयं की अच्छी किस्म की उपयोग करनी होगी।
12. निविदाकार के पास में कम से कम 100 कैमरे होना अनिवार्य है।इस कार्य हेतु लगभग 100 कैमरामेनों की आवश्यकता होगी। कार्य की उपयोगिता को देखते हुय संख्या बढ़ायी जा सकती है।जिसकी सूचना आवश्यकतानुसार आपको 3 घण्टे पूर्व दी जायेगी।
13 कैमरामेन को उनकी उपस्थिति का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता या जिस अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, उससे प्राप्त करना होगी। उनके प्रमाण पत्र अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। कैमरामेनों की उपस्थिति पंजी संबंधित अधिकारी के पास रखी जावेगी। जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व भी निविदाकार का ही होगा, जिसके अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।
14 कैमरामेनों को उनकी ड्यूटी के गंतव्य स्थान पर पहुंचाने तथा वापस लाने, खाने पीने आदि का प्रबंध स्वयं करना होगा।
15 यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्त एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं उनकी कीमत पर किसी अन्य वीडियोग्राफर का कार्य लिया जावेगा तथा अन्तर की राशि सफल निविदाकार से वसूली योग्य होगी।
16 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के कारण अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाला परिवर्तन या पुनर्मतदान व अन्य कारण संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निविदादाता स्वीकृत दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य रहेगा।
17 निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
18 निविदादाता जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।
19 सफल निविदाकार को तुरन्त अनुबंध सम्पादित कराना होगा।
20. निविदा शर्तो के संबंध में अथवा जिनका उल्लेख शर्तो में नही है एवं अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर भण्डार क्रय के अनुसार निराकरण किया जावेगा ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ.क्रमांक/ /भारत.निर्वा./2018 भोपाल, दिनांक 16/10/2018

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराकर पेपर कटिंग भेजने हेतु।
03. नोडल अधिकारी सामग्री प्रंबधन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,(एन.आई.सी) भोपाल की ओर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
05. समस्त रिटर्निंग अधिकारी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल